



MAHARSHI DAYANAND SARASWATI UNIVERSITY, AJMER

No.Acad.14(1504)Acad.II/MDSU/2021/

Date:

REGISTERED

The Principal,
Takshila Niketan Girls College,
Police Line Road,
Lohagal (Ajmer)

Subject :- Grant of Fresh Provisional Affiliation in B.A. and B.Sc. Courses for the session 2019-2020.

Ref. :- Your application No. 001 dated 21-12-2018

Dear Sir,

This is to inform you that on the basis of the Inspection Report and recommendation of Affiliation Committee, the Hon'ble Vice-Chancellor has been pleased to grant **Fresh Provisional Affiliation in B.A. Course (with 80 seats- One Section) (Eng. Lit., Hindi Lit, Geography, History, Pol Sc., Psychology and Compulsory Subjects) & B.Sc. Course (With 70 Seats-One Section) (Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Matematics and Compulsory Subjects)** for the session **2019-2020** to your college subject to fulfillment of the following conditions:

1. No admissions beyond the number of seats allotted by the University will be made. Admissions of the only eligible students will be made. In case admissions over and above the number of seats allotted and admissions of the ineligible students are made, the University will not conduct the examination of such students and the entire responsibility for the same will lie with the college authorities. This should be adhered to strictly. Non-compliance will lead to strict action against the college, which may include disaffiliation.
 2. The College will follow and observe the University Act, Statutes, Ordinances, Regulations, Rules and Instructions framed and amended adopted and issued by the University from time to time.
 3. The College will follow curricula Courses of Study as prescribed by the University from time to time, which will include Scheme of Examinations and conduct of examinations.
 4. The college will appoint Permanent and qualified Principal and teaching staff, sports staff, PTI etc. on full time basis selected by duly constituted Selection Committee as per University Act and norms of U.G.C. and get the same approved from the University.
 5. Building-Construction of building as per the guidelines of the University with provisions of play ground and hostel building.
 6. Library- Year wise purchases of books for Library and sufficient provisions will be made for purchase of journals, magazines.
 7. Endowment Fund: As per Ordinance 70-A, an FDR of Rs. 5.00 lakh will be prepared by the College in the joint account of Registrar, MDS University, Ajmer & College and an attested copy of the same will be sent to the University.
 8. To provide the information as asked for by the University from time to time including Statistics etc.
 9. (a) Number of admissions will be restricted to the number of seats allotted by the University. No admission over and above the number of seats allotted will be made.
(b) No admission may be given in the subject (s)/course(s) without obtaining the affiliation in the subject (s)/course(s) concerned.
- Non-compliance will entail severe action against the college as per the letter No.31170-313 dated 23-02-2006, 29554-830 dt. 9-06-2009 & 18349 dated 22-05-2012 and responsibility for the same will be with the college administration.
10. No affiliated institution shall be allowed to discontinue the study of any Subject/Faculty without prior permission of the University. An application for such permission shall be made to the Registrar by the Head of the institution duly forwarded by the Management at least one full academic year in advance, giving reasons in support of the proposal.
 11. Every college not maintained by the Government shall satisfy the Board that adequate financial provision is available for its efficient maintenance. If at any time the governing body of a College be unable to run the College, it shall inform the Board at least one full academic year in advance and shall give a notice of similar duration, viz., one full academic year to the employees of the institution for termination of their services: Provided that the closure of an Institution shall be in gradual stages in respect of each course of study for which it is affiliated, starting from the first year of the course.
 12. महाविद्यालय बीए एव बी.एससी. पाठ्यक्रमों की सत्र 2019-2020 में नवीन अस्थायी सम्बद्धता हेतु जारी पत्र की दिनांक से 02 माह में उक्त पत्र में अंकितानुसार शर्तों की बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट विश्वविद्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
 13. महाविद्यालय को बीए एव बी.एससी. पाठ्यक्रमों की सत्र 2019-2020 की नवीन अस्थायी सम्बद्धता इस आधार पर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है कि महाविद्यालय 60 दिवस में निम्नानुसार कमियों की पूर्ति कर प्रमाणिक

- दस्तावेज विश्वविद्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आगामी सत्र में विश्वविद्यालय अध्यादेश 70-ए के प्राधानानुसार आर्थिक दण्ड देय होगा एवं आगामी सत्र की अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि नहीं की जा सकेगी।
14. (i) महाविद्यालय ने सत्र 2019-2020 में बी0ए0 पाठ्यक्रम (01 सेक्शन हेतु) चाहे गये 06 विषयों हेतु 06 शिक्षकों के विरुद्ध 06 शिक्षक नियुक्त दर्शाये गये हैं। जिनमें से एक शिक्षक नीलम चौरशिया भूगोल विषय में नेट उत्तीर्ण है। शेष सभी शिक्षक नेट/सलेट उत्तीर्ण नहीं होने के आधार पर योग्यताधारी नहीं है साथ ही अर्थशास्त्र विषय में सुश्री रचाती जैन को शिक्षक नियुक्त दर्शाया है जबकि अर्थशास्त्र विषय महाविद्यालय को आवंटित नहीं है। योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही मनोविज्ञान विषय में कोई शिक्षक नियुक्त नहीं है नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करें।
- (ii) महाविद्यालय में सत्र 2019-2020 में बी0एससी0 पाठ्यक्रम (01 सेक्शन हेतु) 05 शिक्षकों के विरुद्ध 05 शिक्षक नियुक्त दर्शाये गये हैं जिनमें कोई भी शिक्षक नेट/सलेट उत्तीर्ण नहीं होने के कारण योग्यताधारी नहीं है। योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करें
- (iii) महाविद्यालय द्वारा सत्र 2019-2020 में निर्धारित मानदण्डानुसार बी0ए0 (01 सेक्शन) हेतु 40 शीर्षकों की 200 पुस्तकों के विरुद्ध 128 शीर्षकों की 128 पुस्तकों के विल एवं परिग्रहण पंजिका प्रस्तुत गई है। जो अपर्याप्त हैं। शेष पुस्तकों क्रय किया जाना सुनिश्चित करें।
- (iv) महाविद्यालय द्वारा सत्र 2019-2020 में प्राचार्य सहित नियुक्त शिक्षकों के विश्वविद्यालय द्वारा वांछित मूल शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ की सत्यापित प्रतियां प्रेषित की हैं लेकिन अंग्रेजी साहित्य विषय में नियुक्त शिक्षक सुश्री नलनी जोसफ का मूल शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- (v) महाविद्यालय सत्र 2019-2020 में उपरोक्त पाठ्यक्रमों की नवीन अस्थायी सम्बद्धता हेतु जारी पत्र की दिनांक से एक वर्ष में अक्षय निधि कोष हेतु नियमानुसार संस्था सचिव एवं कुलसचिव, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त राशि रु. 5.00 लाख की एफडीआर बनवाकर सत्यापित प्रति विश्वविद्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- (vi) महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अध्यादेश 70-ए के प्राधानानुसार रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर महाविद्यालय संस्था/ट्रस्ट का बॉण्ड विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है। भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- (vii) महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आदेश क्रमांक: 242 दिनांक 17.07.2019 के द्वारा सत्र 2019-2020 से 2021-2022 तक के क्रम में महाविद्यालय को तीन सत्रों की-समाप्ति तक स्वयं के भूमि एवं भवन में महाविद्यालय का निर्माण करना होगा। सुनिश्चित करें।
- (viii) महाविद्यालय द्वारा सत्र 2019-2020 में सुश्री अमिता चौहान एम0लिव को पुस्तकालयाध्यक्ष एवं श्री कुलदीप सिंह शेखावत एम0पीएड को शारीरिक शिक्षक के रूप में नियुक्त दर्शाया गया हैं, जो योग्यताधारी नहीं है। यू0जी0सी0 के नवीनतम मानदण्डानुसार योग्यताधारी की नियुक्ति अनिवार्य है। निर्धारित मानदण्डानुसार नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करें।
- (ix) महाविद्यालय द्वारा उक्त पाठ्यक्रमों हेतु प्रति विषय 2 जर्नल्स क्रय सम्बन्धी एवं अनु. जाति/अनु.जनजाति छात्रों हेतु बुक बैंक की सुविधा बाबत कोई सूचना प्रेषित नहीं की गई है। भिजवाया जाना सुनिश्चित
- (x) महाविद्यालय द्वारा ऑडिट रिपोर्ट की प्रति विगत तीन वर्षों की प्रेषित नहीं की गई है। भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- (xi) महाविद्यालय द्वारा प्रपत्र 1-A to C Self Assessment सम्पूर्ण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

विशेष नोट:- आदेशानुसार महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालय उक्त कमियों की 60 दिवस में पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें अन्यथा कमी पूर्ति के अभाव में महाविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

It may be noted that the application for extension in provisional affiliation/ fresh/permanent affiliation (as the case may be) for the session 2020-2021 along with the copy of original Receipt & detailed fee statement, after depositing prescribed fee by Demand Draft in the University (failing which the application form shall be treated as cancelled or otherwise in the case of part submission of the necessary fee the part payment so made shall be forfeited and the said application form shall be rejected) together with a report about the fulfillment of the conditions of the affiliation up to 31st December, 2019. If already deposited, need not to deposit.

Yours faithfully,

Sd-
REGISTRAR

No.Acad.14(1504)Acad.II/MDSU/2021/ 9817-833

Date: 17-7-21

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1- The Commissioner, College Education, Shiksha Sankul, JLN Marg, Jaipur.
- 2- The Joint Secretary, Higher Education (Gr. IV) Department Government of Rajasthan, Jaipur.
- 3- The Director C.D.C. M.D.S. University, Ajmer.
- 4- The C.O.F./C.E., M.D.S. University, Ajmer.
- 5- परीक्षा नियन्त्रक, मदसवि. अजमेर को आदेशानुसार सूचित कर लेख है कि उक्त महाविद्यालय को निर्देशित कमियों की पूर्ति हो जाने का शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय से पत्र जारी करने के पश्चात् ही महाविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जावे।
- 6- The Asstt. Librarian, MDS University, Ajmer for the purpose of AISHE Portal.
- 7- The Secretary, Sports Board, MDS University, Ajmer.
- 8- The Web Administrator/A.C.P. Computer Center, MDS University, Ajmer.
- 9- The Dy. Registrar/Section Officers, (Secy./Exam. UG Arts/Science), M.D.S. University, Ajmer.
- 10- P.S. to Vice-Chancellor,/P.A. to Registrar/Cashier, (Cash Receipt), M.D.S. University, Ajmer.

Dy. Registrar (Acad.II)